अध्याय VIII

पदच्युति, हटाया जाना और निलम्बन

मूल नियम 52—इस सरकारी सेवक के वेतन और भत्ते जो सेवा से पदच्युत कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है ऐसी पदच्युति की या हटाए जाने की तारीख से बन्द हो जाते हैं ।

मूल नियम 53 (1) (निम्नलिखित प्राधिकारी के आदेश के अधीन निलम्बित समझा गया) निलम्बित सरकारी सेवक निम्नलिखित संदायों का हकदार होगा, अर्थात् :—

(i) भारतीय चिकित्सा विभाग के आयुक्त अधिकारी की या सिविल नियोजन के वरिष्ठ आफिसर की दशा में जिसे सैनिक कर्त्तव्य पर प्रतिवर्तित किया जा सकता है वे वेतन और भत्ते जिनका वह तब हकदार होता जब कि वह सैनिक नियोजन में होते हुए निलम्बित हो जाता;

(ii) किसी अन्य सरकारी सेवक की दशा में —

(क) उस छुट्टी वेतन के बराबर रकम का निर्वाह भत्ता, जो वह सरकारी सेवक तब लेता जब कि वह अर्द्ध औसत वेतन पर या अर्द्ध वेतन पर छुट्टी पर होता और उसके अतिरिक्त ऐसे छुट्टी वेतन के आधार पर महंगाई भत्ता, यदि वह अनुज्ञेय हो परन्तु जहां (निलम्बन की अवधि तीन मास से अधिक हो) वहां वह प्राधिकारी जिसने निलम्बन का आदेश दिया था या जिसके बारे में यह समझा जाता हो कि उसने निलम्बन का आदेश दिया है, (प्रथम तीन मास) की अवधि के बाद की किसी भी अवधि के लिए निर्वाह भत्ते की रकम में परिवर्तन निम्नलिखित रूप से करने के लिए सक्षम होगा:—

(i) निर्वाह भत्ते की रकम में (प्रथम तीन मास की अवधि) के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अनाधिक, यथोचित रकम बढ़ाई जा सकेगी यदि उक्त प्राधिकारी की राय में निलम्बन की अवधि में वृद्धि ऐसे कारणों से हुई हो जो सरकारी सेवक की अपेक्षा के फलस्वरूप हुए न माने जा सकते हों, ऐसे कारण लेखबद्ध किए जाएंगे;

(ii) निर्वाह भत्ते की रकम में से (प्रथम तीन मास की अवधि) के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अनाधिक यथोचित रकम घटाई जा सकेगी, यदि उक्त प्राधिकारी की राय में, निलम्बन की अवधि, में वृद्धि ऐसे कारणों से हुई हो जो सरकारी सेवक की अपेक्षा के फलस्वरूप हुए माने जा सकते हैं ऐसे कारण लेखबद्ध किए जाएंगे ;

(ii) मंहगाई भत्ते की दर, ऊपर के उपखण्ड (i) तथा (ii) के अधीन अनुज्ञेय, यथास्थिति बढ़ाए गए या घटाए गए निर्वाह भत्ते पर आधारित होगी ।

(ख) निलम्बन की तारीख को उस सरकारी सेवक को मिलने वाले वेतन के आधार पर समय-समय पर अनुज्ञेय कोई अन्य प्रतिकार भत्ते, बशर्ते ऐसे भत्तों को लेने के लिए निर्धारित अन्य शर्तें पूरी की गई हों ।

(2) उप नियम (1) के अधीन कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि सरकारी सेवक यह प्रमाण-पत्र न दे कि वह किसी अन्य नियोजन, कारबार, वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है :

परन्तु पदच्युत किए गए, हटाए गए या सेवा से अनिवार्यतः निवृत्त सरकारी सेवक की दशा में, जिसे, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1957, के नियम 12 के उप नियम (3) और उप नियम (4) के अधीन, ऐसी पदच्युति या हटाए जाने या अनिवार्य निवृत्ति की तारीख से निलम्बनाधीन या निलम्बित चला आ रहा समझा जाए; और जो उस अवधि या उस अवधियों की बाबत जिसके या जिनके दौरान उसे निलम्बनाधीन या निलम्बित चला आ रहा समझा जाए ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में चूक करें, उतनी रकम के बराबर निर्वाह भत्ते और अन्य भत्तों का हकदार होगा जितनी यथास्थिति ऐसी अवधि या अवधियों के दौरान के उसके उपार्जन, निर्वाह भत्ते और अन्य भत्तों की उस रकम से कम हो जो कि उसे अन्यथा अनुज्ञेय होती जहां उसे अनुज्ञेय निर्वाह, और अन्य भत्ते उसके द्वारा उपार्जित रकम के बराबर या उससे कम हों वहां इस परन्तुक की कोई भी बात लागू न होगी ।

आदेश/अनुदेश

1. निर्वाह भत्ते की समीक्षा.—निलम्बित अधिकारी अपने अर्द्ध वेतन अथवा अर्द्ध औसत वेतन पर अपने छुट्टी के वेतन की दर से निर्वाह भत्ता तब तक आहरित करता रहेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी मूल नियम 53(1)(11)(क) के अधीन कोई आदेश पारित न कर दे ।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलम्बन की छह मास (अब तीन मास) की अवधि के भीतर आदेश पास न करने के कारण संबंधित अधिकारी को भारी कठिनाई हो सकती है अथवा सरकार को अनावश्यक खर्च करना पड़ सकता है, मंत्रालयों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने नियंत्रणाधीन ऐसे सभी प्राधिकारियों को, जिन्हें अपने अधीन सरकारी कर्मचारियों को निलम्बित करने की शक्तियां प्राप्त है, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुदेश जारी करें कि ऐसे सभी मामलों में यथेष्ट समय पर कार्रवाई प्रारम्भ की जाए ताकि अपेक्षित आदेश उसी समय लागू किये जा सके जब निलम्बित अधिकारी ने निलम्बन के छह महीने (अब तीन महीने) पूरे कर लिए हों ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 17 जून, 1958 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-19 (4)-ई० IV/55]

(1-क) मूल नियम 53 के अधीन यह आवश्यक है कि निलम्बन की प्रथम छह (अब तीन महीने) की अवधि के समाप्त होने से काफी समय पूर्व सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्रत्येक मामले की पुनरीक्षा करनी चाहिए जिसमें निलम्बन की अवधि छह महीने (अब तीन महीने) से अधिक बढ़ने की सम्भावना हो और यदि वह (सक्षम प्राधिकारी) इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दर में परिवर्तन नहीं किया जाना है तो उक्त आशय के विशेष आदेश पारित किये जाए और वे परिस्थितियां रिकार्ड में दर्ज की जाए जिनके आधार पर निर्णय किया गया था ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 16 फरवरी, 1959, का कार्यालय ज्ञापन संख्या 15-(16)-ई० IV/58]

(1-ख) यद्यपि मूल नियम 54(1)(11) के परन्तुक में दूसरी बार अथवा उसके बाद समीक्षा के लिए विशेषरूप से व्यवस्था नहीं है फिर भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी समीक्षा करने में कोई आपत्ति नहीं है । ऐसा प्राधिकारी प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार प्रारम्भ में मंजूर किए गए निर्वाह भत्ते की राशि को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने या घटाने के आदेश पारित करने में सक्षम होगा । दूसरी बार अथवा उसके बाद समीक्षा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर किसी भी समय की जा सकती है ।

यदि निलम्बन की अवधि लम्बे समय तक जारी रहने के लिए सरकारी कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है अर्थात् उसकी विलम्बकारी युक्तियां अपनाई हो तो प्रथम समीक्षा के आधार पर एक बार बढ़ाई गई निर्वाह भत्ते की राशि को घटाकर प्रारम्भ में मंजूर किए गए निर्वाह भत्ते की राशि का 50 प्रतिशत तक किया जा सकता है ।

इसी प्रकार यदि निलम्बन की अवधि लम्बे समय तक जारी रहने के लिए सरकारी कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है और सरकारी कर्मचारी ने विलम्बकारी युक्तियां छोड़ दी है तो जिन मामलों में निर्वाह भत्ते की राशि प्रथम समीक्षा के बाद घटा दी गई है उनमें निर्वाह भत्ते की राशि को प्रारम्भ में मंजूर की गई राशि के 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है ।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का तारीख 30 जून, 1966 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-(1)ई-IV/(क)66]

(1-ग) प्रथम समीक्षा तीन महीनों के भीतर की जाए यह निर्णय किया गया है कि निर्वाह भत्ते की समीक्षा निलम्बन की तारीख से 3 माह की समाप्ति पर की जानी चाहिए न कि प्रचलित प्रथा के अनुसार 6 महीनों के बाद निर्वाह भत्ते में परिवर्तन किया जाना चाहिए । ऐसा करने से सम्बन्धित प्राधिकारी को न केवल निर्वाह भत्ते की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा बल्कि निलम्बन के मूलभूत प्रश्न की पुनरीक्षा करने का भी अवसर मिलेगा ।

[भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 23 अगस्त, 1979 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 16012/1-/79- छुट्टी एकक]

2. निर्वाह भत्ता-समय पर भुगतान.—(i) घनश्याम दास श्री वास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य (ए०आई०-आर०:1973 एस०सी० 1183) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया था कि जब कोई निलम्बित सरकारी कर्मचारी पोषण भत्ता न मिलने के कारण हुई आर्थिक कठिनाईयों की वजह से जाँच में उपस्थित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त करें तो उसके विरुद्ध एक तरफा की गई कार्यवाही से संविधान के अनुच्छेद 311(2) उपबन्धों का उल्लंघन होगा, क्योंकि संबंधित व्यक्ति को अनुशासनिक कार्यवाहियों में अपने बचाव का उचित अवसर नहीं मिला ।

(ii) उपर्युक्त फैसले को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित प्राधिकारियों पर यह जोर डाला जा सकता है कि उन्हें निलम्बित सरकारी कर्मचारियों के पोषण भत्तों का समय पर भुगतान करना चाहिए जिससे उनको आर्थिक कठिनाईयों का सामना न करना पड़े । यह नोट किया जा सकता है कि जैसा कि इसके स्वरूप से ही जाहिर होता, पोषण भत्ता किसी सरकारी कर्मचारी तथा उसके परिवार को उस अवधि में पोषण के लिए दिया जाता है जिस अवधि में उसे कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाती और इसके कारण उसे वेतन नहीं मिलता है । इसे ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त कदम उठाए कि किसी सरकारी कर्मचारी को निलम्बित किए जाने के बाद उसे अविलम्ब पोषण भत्ता मिले ।

(iii) उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित उच्चतम न्यायालय का फैसला यह प्रकट करता है कि उस मामले में अनुशासन प्राधिकारी ने इस तथ्य के बावजूद भी एकतरफा जांच की कि संबंधित सरकारी कर्मचारी ने निर्वाह भत्ता न दिए जाने के कारण वित्तीय कठिनाइयों की वजह से जांच में उपस्थित न हो सकने का विशेष रूप से निवेदन किया था। न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि परिस्थितियों में एकतरफा जांच करने से बचाव का उचित अवसर न दिए जाने के कारण संविधान के अनुच्छेद 311(2) का उल्लंघन होगा। केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 14(20) के उपबन्धों को लागू करने से पहले सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इस मद को भी ध्यान में रखा जाए।

[कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 6 अक्टूबर, 1976 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/10/76-स्था० (क)]

(2-क)(i) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1965 की पुनरीक्षा करने के लिए गठित की गई राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्श तंत्र) की समिति के कर्मचारी पक्ष ने यह बताया है कि इस सम्बन्ध में स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद भी अधिकांश निलम्बनाधीन सरकारी कर्मचारियों को नियमित रूप से जीवन-निर्वाह भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

(ii) उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने यह माना था कि यदि कोई निलम्बित सरकारी कर्मचारी, जीवन-निर्वाह भत्ता न मिलने के कारण, जांच में उपस्थित होने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है तो उसके विरूद्ध एकतरफा की गई जांच से यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसे अपने बचाव के उचित अवसर से वंचित रखा गया है। अतः एक बार फिर सभी संबंधित प्राधिकारियों को आग्रह पूर्वक यह कहा जाए कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त कदम उठाएं कि किसी सरकारी कर्मचारी को निलम्बित किए जाने के बाद जीवन निर्वाह भत्ते के भुगतान किए जाने के लिए मूल नियम 53 के अधीन तत्काल कार्रवाई की जाती है तथा संबंधित सरकारी कर्मचारी को, मूल नियम 53 में निर्धारित शर्तों को पूरा कर लेने के बाद, जीवन-निर्वाह भत्ते का भुगतान अविलम्ब तथा नियमित रूप से मिल जाता है। ऐसे मामलों में जहां एकतरफा कार्यवाही की जानी आवश्यक हो जाए वहां इस बात की जांच तथा पुष्टि कर ली जानी चाहिए कि कहीं सरकारी कर्मचारी जीवन-निर्वाह भत्ते की गैर-अदायगी की वजह से तो जांच में उपस्थित नहीं हो सका।

[कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का दिनांक 28 अक्तूबर, 1985 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 11012/17/85-स्था (ए)]

3. निर्वाह भत्ते में से वसूलियां.—(1) निलम्बनाधीन सरकारी कर्मचारी को मंजूर किए गए निर्वाह भत्ते में से सरकार को देय रकमों की वसूली करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किसी नियम अथवा आदेश में इस समय कोई उपबन्ध नहीं है। तदनुसार निर्वाह भत्ते में से ऐसी वसूलियां करने का प्रश्न पिछले कुछ समय से विचाराधीन रहा है। अनुज्ञेय कटौतियां निम्नलिखित दो श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं :—

(क) अनिवार्य कटौतियां

(ख) ऐच्छिक कटौतियां

(2) यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त वर्ग (क) के अन्तर्गत आने वाली निम्नलिखित कटौतियां निर्वाह भत्ते में से की जानी चाहिए :—

(i) आयकर एवं अधिभार (यदि निर्वाह भत्ते के संदर्भ में संगठित कर्मचारी की वार्षिक आय कर योग्य हो)

(ii) मकान किराया तथा सम्बन्धित व्यय जैसे बिजली, पानी, फर्नीचर आदि।

(iii) सरकार से प्राप्त कर्जे तथा अग्रिम की अदायगी ऐसी दर से जो विभागाध्यक्ष उचित समझकर निर्धारित करें।

(iv) केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना में अंशदान।

(v) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1977 में अंशदान।

(vi) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 में अभिदान।

(3) वर्ग (ख) के अन्तर्गत आने वाली कटौतियां निम्नलिखित है; जो सरकारी कर्मचारी की लिखित सहमति के बिना नहीं की जानी चाहिए :—

(क) डाक जीवन बीमा पालिसी का देय प्रीमियम।

(ख) सहकारी भण्डार तथा सहकारी ऋण समितियों को देय राशि।

(ग) सामान्य भविष्य निधि के अग्रिम की अदायगी।

(4) यह भी निर्णय किया गया है कि निर्वाह भत्ते में से निम्नलिखित प्रकार की कटौतियां नहीं की जानी चाहिए :—

(i) सामान्य भविष्य निधि में अंशदान।

(ii) न्यायालय के आदेशानुसार की जाने वाली कुर्कियों के कारण देय राशि।

(iii) सरकार को हुई ऐसी हानि की वसूली जिसके लिए सरकारी कर्मचारी जिम्मेदार हो।

(5) अधिक भुगतान की वसूली के सम्बन्ध में, सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी अपने विवेक से निर्णय करेगा कि पूरी राशि की वसूली लम्बित रखी जाए या वसूली निर्वाह भत्ते, अर्थात महंगाई भत्ते एवं अन्य प्रतिपूरक भत्तों को छोड़कर, एक तिहाई की अधिकतम दर से की जाए।

[भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की तारीख 18 सितम्बर, 1959 और 20 नवम्बर, 1961 का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ-15(5)-ई-IV/57]

मूल नियम 54.—(1) जब कोई सरकारी सेवक जिसे पदच्युत किया गया, हटाया गया या अनिवार्यतः निवृत्त किया गया हो अपील या पुनर्विलोकन के परिणामस्वरूप बहाल कर दिया जाए या इस प्रकार बहाल कर दिया जाएगा। निलम्बन पर रहते हुए अथवा न रहते हुए अधिवर्षिता पर निवृत्त न होते तो बहाली का आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी —

(क) उन वेतन और भत्तों के बारे में जो कि सरकारी सेवक को कर्तव्य से अनुपस्थिति की कालावधि के लिए जिसमें यथास्थिति इसकी पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्यतः निवृत्ति के पूर्व की निलम्बन कालावधि की भी, दिए जाने हैं; तथा

(ख) इस बारे में कि उक्त अवधि कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि मानी जाएगी या नहीं, विचार करेगा और विनिर्दिष्टतः आदेश देगा ।

(2) जहां कि बहाली का आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि सरकारी सेवक, जिसे पदच्युत किया गया था हटाया गया था अनिवार्यतः निवृत्त किया गया था, पूर्णतः विमुक्त हो चुका है, वहां सरकारी सेवक को, उपनियम (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वह पूरा वेतन और वह पूरे भत्ते दिए जाएंगे जिनका वह तब हकदार होता जब कि वह पदच्युत न किया गया होता, हटाया न गया होता, अनिवार्यतः निवृत्त न कर दिया गया होता अथवा यथास्थिति ऐसे पदच्युत किए जाने या हटाए जाने या अनिवार्यतः निवृत्त किए जाने के पूर्व निलम्बित न किया गया होता :

परन्तु जहां ऐसे प्राधिकारी की यह राय हो कि सरकारी सेवक के विरुद्ध संस्थित कार्यवाहियों के पर्यवसान में विलम्ब ऐसे कारणों से हुआ है जिनके लिए सरकारी सेवक ही सीधे उत्तरदायी है तो वह उसे अभ्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात (उस तारीख से 60 दिन के भीतर, जिस तारीख को उसे इस सम्बन्ध में सूचना दी जाती है) तथा उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह निदेश कर सकेगा कि सरकारी सेवक को उपनियम (7) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे विलम्ब की अवधि के लिए ऐसे वेतन और भत्तों की (राशि) जो सम्पूर्ण राशि नहीं होगी । संदत्त की जाए जो कि ऐसी प्राधिकारी अवधारित करें ।

(3) उपनियम (2) के अधीन आने वाले मामले में कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति के पूर्व की निलम्बन की अवधि भी है, सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर व्यतीत अवधि मानी जाएगी ।

(4) उन मामलों में जो कि उप नियम (2) के अन्तर्गत नहीं आते जिनमें (ऐसे मामले भी हैं जहां सेवा से पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्यतः निवृत्ति का आदेश अपील या पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा केवल इस आधार पर, अपास्त कर दिया जाता है कि संविधान अनुच्छेद 311 के खण्ड (1) या खण्ड (2) की अपेक्षाओं का पालन नहीं हुआ है और आगे कोई जांच करना प्रस्थापित न हो तो सरकारी सेवक को राशि की सूचना देने के पश्चात् और ऐसी अवधि (जो किसी भी हालत में उस तारीख से 60 दिन से अधिक नहीं होगी जिस तारीख को उसे नोटिस दिया गया है) जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए, के भीतर उसके सम्बन्ध में उसके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् सरकारी सेवक को उपनियम (6) और (7) के उपबन्धों के अधीन, रहते हुए सक्षम प्राधिकारी के अवधारण के अनुसार वेतन और भत्तों की उतनी राशि जो पूर्ण न हो) (प्राप्त करेगा जितने का वह उस दशा में हकदार होता यदि वह पदच्युत न किया गया होता या हटाया न गया होता या अनिवार्यतः निवृत्त न किया गया होता अथवा इस प्रकार पदच्युत, हटाए जाने, अनिवार्यतः निवृत्त किए जाने के पूर्व निलम्बित न किया गया होता: ।

(5) उपनियम (4) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में, कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, उसकी पदच्युति हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति से पूर्ववर्ती निलम्बन की अवधि भी है; तब तक कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि नहीं मानी जाएगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्टतः यह निदेश न दे कि उक्त अवधि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि मानी जाए :

परन्तु यदि सरकारी सेवक ऐसी इच्छा करें तो ऐसा प्राधिकारी निदेश कर सकेगा कि कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि, जिसके अन्तर्गत; यथास्थिति, पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवा-निवृत्त किए जाने के पूर्ववर्ती निलम्बन की अवधि भी है, उस सरकारी सेवक को अनुज्ञात ऐसी किसी भी छुट्टी में संपरिवर्तित कर दी जाए जो उस सरकारी सेवक को शोध्य और अनुज्ञेय हो ।

टिप्पण :—पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन सक्षम प्राधिकारी का आदेश आत्यंतिक होगा और—

(क) अस्थायी सरकारी सेवक की दशा में तीन महीने से अधिक की असाधारण छुट्टी; और

(ख) स्थायी अथवा स्थायिवत सरकारी सेवक की दशा में, पांच वर्ष से अधिक की किसी भी प्रकार की छुट्टी की मंजूरी के लिए किसी भी प्रकार की उच्चतर मंजूरी आवश्यक नहीं होगी ।

(6) उपनियम (2) या उपनियम (4) के अधीन भत्तों का संदाय ऐसी सभी अन्य शर्तों के अधीन होगा जिनके अधीन, ऐसे भत्ते अनुज्ञेय हैं ।

(7) उपनियम (2) के परन्तुक या उपनियम (4) के अधीन अवधारित (राशि) नियम 53 के अधीन अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते और अन्य भत्तों से कम नहीं होगी ।

(8) इस नियम के अधीन सरकारी सेवक को उसकी बहाली पर किया गया कोई संदाय उस रकम के यदि कोई हो समायोजन के अधीन होगा, जो उसके द्वारा उस अवधि के दौरान जो, यथास्थिति, उसके हटाए जाने, पदच्युति या अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति की तारीख और उसकी बहाली की तारीख के बीच की हो, नियोजन की मार्फत अर्जित की गई हो । जहां इस नियम के अधीन अनुज्ञेय उपलब्धियां अन्यत नियोजन के दौरान अर्जित रकम के बराबर या कम हो तो सरकारी सेवक को कुछ भी नहीं दिया जाएगा ।

मूल नियम 54 (क)—(1) जहां सरकारी सेवक की पदच्युति, हटाया जाना या अनिवार्य सेवानिवृत्ति न्यायालय द्वारा अपास्त कर दी जाती है और ऐसा सरकारी सेवक किसी आगे जांच किए जाने के बिना बहाल कर दिया जाता है, वहां कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि विनियमित की जाएगी और सरकारी सेवक को उपनियम (2) या (3) के उपबन्धों के अनुसार न्यायालय के ऐसे निदेशों, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए वेतन और भत्ते दिए जाएंगे ।

(2)(i) जहां सरकारी सेवक की पदच्युति, हटाया जाना या अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति न्यायालय द्वारा केवल इस कारण अपास्त कर दी जाती है कि संविधान अनुच्छेद 311 के खण्ड (1) अथवा खण्ड (2) की अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया है और जहां वह गुण-दोषों के आधार पर नियुक्त हो गया है, तो सरकारी सेवक को नियम 54 के उप-नियम (7) के उपबन्धों के अधीन उतनी राशि (वेतन और भत्तों की राशि, जो पूर्ण न हो) प्राप्त करेगा जितनी कि वह उस दशा में हकदार होता यदि वह पदच्युत नहीं कर दिया जाता, हटाया नहीं जाता या अनिवार्यतः सेवा-निवृत्त नहीं कर दिया जाता या यथास्थिति ऐसी पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति के पूर्व निलम्बित नहीं कर दिया जाता तथा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा की सूचना देने के पश्चात और उसके द्वारा इस बारे में सूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि (किसी भी मामले में उस तारीख से 60 दिन से अधिक नहीं होगी जिस तारीख को उसे नोटिस दिया गया हो) के भीतर प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात, अवधारित करे ।

(ii) पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख, जिसके अन्तर्गत यथास्थिति ऐसी पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्य सेवा-निवृत्ति के पूर्व की निलम्बन की अवधि भी सम्मिलित है, और न्यायालय के निर्णय के बीच की अवधि के नियम 54 के उप-नियम—(5) के उपबन्धों के अनुसार विनियमित की जाएगी ।

(3) यदि सरकारी सेवक की पदच्युति, हटाया जाना या अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति मामले के गुणावगुणों के आधार पर न्यायालय द्वारा अपास्त कर दी जाती है तो ऐसी अवधि को, जो पदच्युति, हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति की तारीख, जिसके अन्तर्गत यथास्थिति ऐसी पदच्युति, निवृत्ति के पूर्व की निलम्बन की अवधि भी सम्मिलित है, और बहाली की तारीख के बीच की है सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य के रूप में समझा जाएगा और उसे उस अवधि के लिए पूरा वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जिनके लिए वह तब हकदार होता जब यदि वह पदच्युत नहीं कर दिया जाता, हटाया नहीं जाता या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त नहीं कर दिया जाता या, यथास्थिति, ऐसी पदच्युति हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति के पूर्व निलम्बित नहीं कर दिया जाता ।

(4) उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन भत्तों का संदाय ऐसी सभी अन्य शर्तों के अधीन होगा जिनके अधीन ऐसे भत्ते अनुज्ञेय हैं ।

(5) इस नियम के अधीन सरकारी सेवक को उसकी बहाली पर किया गया कोई संदाय ऐसी रकम के, यदि कोई हो, समायोजन के अधीन होगा जो उसके द्वारा, उस अवधि के दौरान जो यथास्थिति, पदच्युति हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति की तारीख और उसकी बहाली की तारीख के बीच की

है नियोजक को मार्फत अर्जित की गई हो। जहां इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय उपलब्धियां अन्य नियोजन के दौरान अर्जित उपलब्धियों के बराबर या कम हों तो सरकारी सेवक को कुछ भी नहीं दिया जाएगा।

मूल नियम 54-ख (1) यदि किसी सरकारी सेवक को जिसे निलम्बित किया गया था, बहाल किया जाता है (या जिसे, यदि वह निलम्बनाधीन रहते हुए सेवानिवृत्त (जिसके अन्तर्गत समयपूर्व सेवानिवृत्ति भी सम्मिलित है) नहीं होता तो, बहाल किया जाता, तो बहाली का आदेश देने वाला सक्षम प्राधिकारी निम्न लिखित के संबंध में विचार करेगा और विनिर्दिष्ट आदेश देगा:—

(क) सरकारी सेवक को निलम्बन की अवधि के लिए, जो यथास्थिति, बहाली पर (उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख जिसके अन्तर्गत समय पूर्व सेवानिवृत्ति की तारीख भी सम्मिलित है) पर समाप्त होती है, दिया जाने वाला वेतन और भत्ते, और

(ख) उक्त अवधि कर्तव्य पर व्यतीत अवधि मानी जाएगी या नहीं।

(2) नियम 53 में किसी बात के होते हुए भी, जहां निलम्बनाधीन सरकारी सेवक की मृत्यु, उसके विरुद्ध संस्थित अनुशासनिक या न्यायालय कार्यवाहियों की समाप्ति कि पूर्व हो जाती है वहां निलम्बन की तारीख और मृत्यु की तारीख के बीच की अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य के रूप में मानी जाएगी और उसमें कुटुम्ब को उस अवधि के लिए पूरा वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जिनका वह, यदि वह निलम्बन नहीं कर दिया जाता, हकदार होता। परन्तुक उक्त संदाय उसको पहले से संदत्त निर्वाह भत्ते के सम्बन्ध में समायोजन के अधीन रहते हुए किया जाएगा।

(3) जहां बहाली का आदेश देने वाले सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि निलम्बन पूर्णरूपेण न्यायसंगत नहीं था, वहां सरकारी सेवक को, उपनियम (8) के, अधीन रहते हुए पूरा वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जिनका वह, यदि उसे निलम्बित नहीं किया जाता हो तो, हकदार होता।

परन्तु जहां ऐसे प्राधिकारी की यह राय हो कि सरकारी सेवक के विरुद्ध संस्थित कार्यवाहियों के पर्यवसान में विलम्बन ऐसे कारणों से हुआ है जिनके लिए सरकारी सेवक ही सीधे उत्तरदायी है तो वह उसे अभ्यावेदन का अवसर (उस तारीख से 60 दिन के भीतर जिस तारीख को इस सम्बन्ध में सूचना दी जाती है) देने के पश्चात तथा उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह निदेश कर सकेगा कि सरकारी सेवक को ऐसे विलम्बन की अवधि के लिए केवल ऐसे वेतन और भत्तों की [ऐसी राशि (जो पूर्ण न हो)] दी जाए जो कि ऐसा प्राधिकारी अवधारित करे।

(4) उपनियम (3) के अधीन आने वाले मामलों में निलम्बन की अवधि सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य पर व्यतीत अवधि मानी जाएगी।

(5) उपनियम (2) और (3) के अधीन आने वाले मामलों से भिन्न मामलों में सरकारी सेवक उपनियम (8) और (9) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए (वेतन और भत्तों की उतनी राशि (जो पूर्ण न हो) प्राप्त करेगा जितने का उस दशा में हकदार होता यदि वह निलम्बित न किया होता तथा जो सक्षम प्राधिकारी, भत्ता की सूचना देने के पश्चात् और उसके द्वारा इस बारे में सूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि (जो किसी भी मामले में उस तारीख से 60 दिन से अधिक नहीं होगी जिस तारीख को उसे सूचना दी गई है) के भीतर प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात, अवधारित करे।

(6) जहां अनुशासनिक या न्यायालय कार्यवाही का अन्तिम निर्णय लम्बित रहते हुए निलम्बन प्रतिसंहृत किया जाता है तो सरकारी सेवक के विरुद्ध कार्यवाहियों की समाप्ति के पूर्व, उपनियम (1) के अधीन पारित कोई आदेश, उपनियम (1) के वर्णित प्राधिकारी द्वारा, कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात स्वतः पुनर्विलोकित किया जाएगा और वह, यथास्थिति, उपनियम (3) या उपनियम (5) के उपबन्धों के अनुसार आदेश देगा।

(7) उपनियम (5) के अन्तर्गत आने वाले मामलों में, निलम्बन की अवधि तब तक, कर्तव्य पर व्यतीत अवधि के रूप में नहीं मानी जाएगी जब तक सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्टतः निदेश न दे कि उक्त अवधि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि मानी जाए:

परन्तु यदि सरकारी सेवक ऐसी वांछा करे तो ऐसा प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि निलम्बन की अवधि ऐसी किसी भी छुट्टी में संपरिवर्तित कर दी जाए जो उस सरकारी सेवक को शोध्य और अनुज्ञेय हो।

स्पष्टीकरण :—पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन सक्षम प्राधिकारी का आदेश आत्यंतिक होगा और—

(क) अस्थायी सरकारी सेवक की दशा में तीन मास से अधिक की असाधारण छुट्टी, और

(ख) स्थायी या स्थायित्वत् सरकारी सेवक की दशा में पांच वर्ष से अधिक की किसी भी प्रकार की छुट्टी, की मंजूरी के लिए कोई भी उच्चतर मंजूरी आवश्यक नहीं होगी।

(8) उपनियम (2), उपनियम (3) या उपनियम (5) के अधीन भत्तों का संदाय ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होगा जिनके अधीन ऐसे भत्ते अनुज्ञेय हैं।

(9) उपनियम (3) के परन्तुक या उपनियम (5) के अधीन अवधारित (राशि) नियम 53 के अधीन अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते और अन्य भत्तों से कम नहीं होगी।